न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00015 (15/2018)

1. निर्मला पत्नी राजेन्द्र प्रसाद आयु 45 वर्ष जाति बिशनोई साकिन वार्ड नं. 4 हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. कृष्णलाल उर्फ मोमन पुत्र मनीराम आयु 48 वर्ष जाति बिशनोई साकिन जोरावर पुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन 5 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. जसवंत पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन 5 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.03.2004 व डिक्री दिनांक 20.04.2017
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
प्र. सं. 57/2003 अनवान औमप्रकाश बनाम सरकार

उपस्थितः—

श्री राजकुमार शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रामकुमार गोदारा रेस्पो0 सं0 1 व 2
श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक** 29.09.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested

188, 209 में पेश पेश किया। प्रार्थना–पत्र में वादीगण की चक 5 एचएलएम के प. नं. 117/373 के किला नं. 21 ता 25 में 5 बीघा प्रत्येक में 2–2 बिस्वा भूमि गैर मु0 रास्ता खेत दर्ज है इस इन्द्राज को निरस्त करने एवं इस भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करने व प्रतिवादीगण को विधि विरूद्ध ढंग से दखलअंदाजी करने से पाबंद करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी स्टेट ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 12 आंशिक रूप से स्वीकार कर रास्ता मौका पर चालू नहीं बताया शेष बिन्दू कानूनी बतलाते हुए उचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.03.2004 को वादी का वाद स्वीकार किया एवं उक्त रास्ते को निरस्त करते हुए किला नं. 21 ता 24 की 8 बिस्वा भूमि को रावता पुत्र धन्नाराम जाति जाट एवं किला नं. 25 की 2 बिस्वा भूमि को हनुमान–सुखराम पि0 धन्नाराम जाति नाई सा0 जाखड़ावाली को खातेदारी भूमि घोषित किया एवं तहसीलदार पीलीबंगा को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये। वादीगण ने दिनांक 20.01.2017 को अधीनस्थ न्याालय में आदेश 20 नियम 8 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रकरण में डिक्री जारी नहीं की गई है जो जारी की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 20.04.2017 को अपीलाधीन डिक्री जारी की। जिससे व्यथित हेकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की चक 5 एचएलएम में 4.111 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की चक 5 एचएलएम में 10.044 है0 भूमि मुस्तरका खाता मं 1/2 में से 1/5 हिस्सा दर्ज है, जिसमें अपीलाण्ट को कोई रास्ता नहीं है। अपीलाण्ट अपनी कृषि भूमि की देखभाल नहीं कर सकेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा प्रश्नगत रास्ते को बन्द कर राजस्व रिकार्ड से हटा रहे है। अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। अगर रेस्पोडेण्ट अपने मकसद में कामयाब हो गया तो अपीलाण्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं थे अपने हितों की रक्षा के लिए अपीलाण्ट ने बतौर तृतीय पक्ष अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय धारा 8 (2) राज0 उपनिवेशन अधिनियम के अधीन न करके राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय कि विभिन्न

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested

धारों में किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। उक्त रास्ते को अपीलाण्ट के पिता हमेशा से ही करते आ रहे थे। अधीनस्थ न्यायलाय ने धारा 188 काश्तकारी अधिनियम के तहत किया है परन्तु उक्त अधिनियम के तहत लिपिकिय भूल बाबत ही निर्णय किया जा सकता है इस तरह से रास्ते को नहीं हटाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत किया गया है परन्तु उक्त अधिनिमय में केवल लिपिकिय भूल बाबत है जिसकी सही व्याख्या नहीं करना एक विधिक भूल है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय ने रेस्पोडेण्टान एवं तहसीलदार राजस्व को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं तनकी कायम कर सभी पक्षकारान से साक्ष्य प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट धारा 96 सीपीसी के तहत यदि उक्त निर्णय से प्रभावित हैं तो उन्हें न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरानत ही अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इनके द्वारा धारा 96सीपीसी की आज्ञा न लिए जाने के कारण अपील स्वतः ही निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्टान का अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं था इसलिए इन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था। रेस्पोडेण्टान ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, पंचायत का प्रमाण–पत्र, ढालबाछ, इत्यादि प्रस्तुत किये हैं एवं स्वतन्त्र गवाह तिलोकाराम के बयान कलमबद्ध किये हैं। रेस्पोडेण्टान ने अपना वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 मे प्रस्तुत किया था तथा धारा 136 एलआरएक्ट में लिपिकिय भूल सुधार हेतु अनुतोष पीड़ित पक्षकार को प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्नगत रास्ते का अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टान ने कभी नहीं किया एवं ना ही कभी रास्ता चला है। अपीलाण्टान ने किला नं. 25 को शामिल करते हुए कुल 17 बीघा उनके मूल खातेदार हनुमान व सुखराम पिसरान धन्नाराम जाति नाई साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा से सन 2009 में खरीद की हैं व किला नं. 21 ता 24 पर रेस्पोडेण्टान का कब्जा है। किला नम्बर 25 के सम्पूर्ण किले पर कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्टान की है के आगे पीछे भी कोई रास्ता ना कभी चला और ना ही हैं और ना ही इस रास्ते की किसी काश्तकार को आवश्कयता है। सरपंच ग्राम पंचायत ने रिकार्ड से रास्ता हटाने और खातेदारों के नाम से अंकन करने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया है और कहा है कि यह रास्ता कभी नहीं चला। निर्णय के उपरान्त ही इन्तकाल सं0 69/20.05.2004 दर्ज किया गया है। मूल खातेदार हनुमान व सुखराम को भी उक्त इन्तकाल का बखूबी ज्ञान था यदि उन्हें कोई अपीलाधीन निणय से कोई एतराज अथवाव आपत्ति होती तो वे अवश्य अन्दर मियाद इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही करते। उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अपीलाट इसके मूल खातेदार हनुमान व सुखराम द्वारा स्वीकार किये गये अपीलाधीन निर्णय से विबन्धित है। अपीलाण्ट ने अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2012 (1) पेज 374, आरआरडी 1993 पेज 269, आरआरडी 1985 पेज 518 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री के द्वारा चक 5 एचएलएम के प. नं. 117/373 के किला नं. 21 ता 25 में 5 बीघा प्रत्येक में 2–2 बिस्वा भूमि गैर मु0 रास्ता रास्ता निरस्त किया गया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र में पक्षकार नहीं था इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अपीलाण्ट को ज्ञान न होना स्वाभविक है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपीलाण्ट की चक 5 एचएलएम में कृषि भूमि पड़ती है। अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ते को निरस्त कर दिया गया है। वह अपनी भूमि में आवागमन हेतु उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग करते थे। रास्ता निरस्त करने से अपीलाण्ट का अपनी भूमि में आवागमन बाधित हुआ है। इससे अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है उसे वाद में पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested

9. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.03.2004 को निर्णय पारित करते हुए प्रश्नगत रास्ता निरस्त करने एवं रास्ते की भूमि को रेस्पोडेण्टान की खातेदारी भूमि घोषित किया मगर इस निर्णय के उपरान्त लगभग 13 वर्ष बाद दिनांक 20.04.2017 को अपीलाधीन डिक्री पारित की है। डिक्री पारित करते समय अपीलाण्ट को न तो पक्षकार बनाया गया एवं ना ही सुनवांई का कोई अवसर नही दिया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसके पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ते को निरस्त करते हुए रेस्पोडेण्ट को प्रश्नगत भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये हैं। प्रकरण में ये बिन्दू विचारणीय हैं कि क्या रास्ते की आवश्यकता नहीं है, क्या स्वीकृतशुदा रास्ते को खारिज किया जा सकता है तथा क्या स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त करते हुए प्रश्गनत भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। उक्त बिन्दूओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय किया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायलाय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि क्या रास्ते की आवश्यकता नहीं है, क्या स्वीकृतशुदा रास्ते को खारिज किया जा सकता है तथा क्या स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त करते हुए प्रश्गनत भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। उक्त बिन्दूओं पर उभयपक्षों को सुनकर विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.03.2004 व डिक्री दिनांक 20.04.2017 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायलाय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि क्या रास्ते की आवश्यकता नहीं है, क्या स्वीकृतशुदा रास्ते को खारिज किया जा सकता है तथा क्या स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त करते हुए प्रश्गनत भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। उक्त बिन्दूओं पर उभयपक्षों को सुनकर विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29.9.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:48 IST
Reason: SelfAttested